न्यायालय– माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(५)

प्रकरण क्रमांक / दो / रिब्यू / जबलपुर / भू.रा. / 2018 /

I/पुनर्विलोकन/जबलपुर/भू.रा./2018/1031

सीताराम झारिया पुत्र श्री भैयालाल झारिया, निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील व जिला जबपुर म0प्र0

—— आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

—— अनावेदक

पुर्नाविलोकनकर्त्ता द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक एक / निगरानी / जबलपुर / भू.रा. / 2017 / 1738 आदेश दिनांक 04.10..2017 से व्यथित माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक एमपी / 1528 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2018 के पालन में प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुर्नाविलोकन आवेदन पत्र निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपर कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 41–बी–121 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2016 के विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर में दिनांक 12.06.2017 को एक वर्ष चार माह बाद प्रस्तुत की गयी।
2. यहकि, निगरानी की प्रचलनशीलता, पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने, उन्होंने अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में बताया कि आदेश दिनांक 03.02.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 10.02.2016 को प्राप्त हुयी, किन्तु प्रमाणित प्रतिलिप कहीं गुम हो गया एवं पीलिया हो जाने से परेशान

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक / रिव्यु / जबलपुर / भूरा / 2018 / 1031

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
02/07/18	आवेदक अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक एक / निगरानी / जबलपुर / भूरा / 2017 / 1738 में पारित आदेश दिनांक 4.10.17 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक एक / रिव्यु / जबलपुर / भूरा / 2018 / 1031 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण एक / निगरानी / भूरा / जबलपुर / 2017 / 1738 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 4.10.17 से किया जा चुका है। 4–प्रकरण क0 एक / रिव्यु / जबलपुर / भूरा / 2018 / 1031 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में	

पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। प्रकरण कमांक एक/रिव्यु/जबलपुर/भूरा/2018/1031 उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य